:- केवल नकल की प

आवश्यक स्थाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की तारीख	न[illegible]	हस्ताक्षर
605 / 2/6/14	3/6/14	3/6/14	[signature] 3/6/14

[illegible] T20140225012635 सत्र 2014 [illegible] 143 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ता. 2-6-14

[illegible] 2.6.14 [illegible]

[illegible]

605 / 2/6/14

न्यायालय उपजिलाधिकारी, फतेहपुर जिला फतेहपुर

वाद संख्या- टी. 20140225012635 सन 2014 धारा 143 ज0वि0 अधिनियम

मौजा- गाजीपुर, परगना गाजीपुर तहसील व जिला फतेहपुर

उदय सामाजिक वैज्ञानिक शिक्षण शोध संस्थान बनाम सरकार उ0प्र0

आदेश

प्रस्तुत वाद उदय सामाजिक वैज्ञानिक शिक्षण शोध संस्थान नई बाजार खागा फतेहपुर द्वारा संचालित किरनसिंह महा विद्यालय गाजीपुर द्वारा प्रबन्धक उदयप्रताप सिंह पुत्र ठा0 युगराजसिंह निवासी नई बाजार खागा जनपद फतेहपुर द्वारा इस कथन के साथ योजित किया है कि आराजी स्थित ग्राम गाजीपुर परगना व तहसील व जिला फतेहपुर के खाता सं0 1195 के गाटा सं0 659मि./0.4500 है0 व खाता सं0 1230 के गाटा सं0 643मि./0.5900 है0 कुल 2 किता रकबा 1.0400 है0 का संक्रमणीय भूमिधर काबिज व दखील है। उक्त आराजी पर कृषि कार्य नही होता है। याचना किया है कि उक्त आराजी को अकृषिक /शैक्षिक/ आवासीय/ व्यवसायिक घोषित किया जावे।

इसकी जांच तहसीलदार फतेहपुर से कराई गयी। तहसीलदार फतेहपुर ने अपनी जांच आख्या दि0 22-5-14 जो नायब तहसीलदार की जांच आख्या दि0 22-5-14 पर आधारित है में कहा है किउपरोक्त आराजी में कृषि कार्य नही होता है। पिलर बने हुए है तथा मिट्टी की पुराई हो चुकी है। भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार फतेहपुर की आख्या दि0 22-5-14 के आधार पर निम्नलिखित विवरण की भूमि अकृषिक घोषित की जाती है:-

605
2/6/14

1-ग्राम, परगना व तहसील का नाम जहां पर भूमि स्थित है।	ग्राम गाजीपुर, परगना गाजीपुर तहसील व जिला फतेहपुर।
2-भूमिधर का नाम व निवास-स्थान।	उदय सामाजिक वैज्ञानिक शिक्षण शोध संस्थान नई बाजार खागा फतेहपुर द्वारा संचालित किरन-सिंह महाविद्यालय गाजीपुर द्वारा प्रबन्धक उदय-प्रताप सिंह पुत्र युगराजसिंह नि0 नई बाजार खागा जनपद फतेहपुर।
3-खाता सं0/क्षेत्रफल, भूराजस्व	खाता सं0 1230/0.5900है0 भू रा. 7.26 रू0 खाता सं0 1195/0.4500है0 भू रा. 9.38 रू0
4-अकृषिक घोषित की जा रही भूमि सं0/ क्षेत्रफल व भूराजस्व	गाटा सं0 643मि./0.5900 है0 भू रा. 7.26रू0 गाटा सं0 659मि./0.4500 है0 भू रा. 9.38 रू0
5-अकृषिक घोषित होने का प्रयोजन	शैक्षिक/ व्यवसायिक/ आवासीय

आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक फतेहपुर को निशुल्क पंजियन हेतु एवं एक प्रति तहसीलदार फतेहपुर को अभिलेखों में अमलदरामद हेतु प्रेषित की जावे। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दाखिल अभिलेखागार की जावे।

दिनांक- 02.06.2014

सवाल नम्बर 605
तारीख दायरा 2.6-14
तारीख तैयारी 2-6-14

(हस्ताक्षर)
(विवेक श्रीवास्तव)
उपजिलाधिकारी, फतेहपुर
जिला फतेहपुर